has discussed the schemes with Union Minister of Works and Housing;

(c) whether Government are aware of the recommendations of the Morarka Commission for special grant-in-aid for such schemes; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in the above matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). Yes, Sir.

(d) Grant-in-aid is already given to the extent of expenditure on rural areas plan schemes already included in Union Territory plan of Delhi. Specific decision on the request for additional financial assistance of Rs.1 crore has not yet been taken.

भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों, भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास को न छोड़ा जाना

1693. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों, भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अभी भी सरकारी आवास नहीं छोड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सरकारी आवास खाली करने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) ऐसा कोई भी भूतपूर्व मंत्री **जो संसद की किसी भी सत्र का सदस्य नहीं है, वास के दखल में नहीं है ।**

11 भूतपूर्व संसद सदस्यों और एक भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद अभी भी सरकारी वास के दखल में है । उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही चल रही है । श्री महावीर त्यागी के मामले में स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर उन्हें 1-11-77 तक मकान में रहने की अनुमति दी गई थी । श्री महावीर त्यागी के मामले पर विचार किया जा रहा है

उन भूतपूर्व संसद सदस्यों/कार्यकारी पार्षद के नामों का विवरण जिन्होंने अभी तक सरकारी वास खाली नहीं किया ।

सामान्य पूल वास

1. श्री तुलमोहन राम

लोकसभा पुल वास

2. श्री महेन्द्र सिंह गिल
3. श्री कार्तिक ओरान
4. श्री जम्बूदन्त धोते
5. श्री एच० एन० मुखर्जी
6. श्री एम० एस० महापात्र
7. श्री एम० एम० बनर्जी
8. श्री विजय पाल सिंह
9. श्री वी शंकर गिरि

राज्यसभा पुल वास

10. श्री बी० टी० कुलकर्णी